छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर–492002

—: अधिसूचना :—

नवा रायपुर, दिनांक 16/06/2020

क्र./2976/एफ–02/01/PMFBY/2020/14–2 : भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015/03/2016 Credit II नई दिल्ली, दिनांक 25.04.2018 एवं पत्र क्र. 13015/02/2015 Credit II नई दिल्ली, दिनांक 28.02.2020 द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा वर्ष 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 के खरीफ एवं रबी मौसम हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में **"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना"** लागू करती है। योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है :—

1. अधिसूचित फसल :—

मौसम	फसल	
खरीफ	मुख्य फसल	धान सिंचित एवं धान असिंचित
	अन्य फसल	मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), मूंग एवं उड़द
रबी	मुख्य फसल	चना
	अन्य फसल	गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई–सरसो एवं अलसी

2. बीमा इकाई एवं अधिसूचित क्षेत्र :—

योजनांतर्गत खरीफ एवं रबी मौसम की सभी अधिसूचित फसलों हेतु बीमा इकाई "ग्राम" निर्धारित किया गया है। बीमा इकाई में अधिसूचित फसल का रकबा 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर उक्त फसल को संबंधित बीमा इकाई मे अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल, ग्राम पंचायत, ग्राम (बीमा इकाई) का नाम, ग्राम कोड एवं अधिसूचित फसल का विवरण अंग्रेजी भाषा में **परिशिष्ट – 1** पर है।

3. **शामिल किये जाने वाले कृषक :—**

इस योजना में ऋणी कृषक (भू–धारक व बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भू–धारक व बटाईदार) शामिल हो सकते है।

(क) ऋणी कृषक :— योजना ऋणी कृषकों के लिये विकल्प चयन (opt-out) आधार पर क्रियान्वित होगी। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी चयन (opt-out) प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। कृषक द्वारा निर्धारित समय–सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जावेगा। इस मामले में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की चूक/त्रुटि होने पर संबंधित बैंक किसानों के स्वीकार्य दावों के भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(ख) **अऋणी** कृषक :– अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। इस हेतु कृषक को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई की पुष्टि का प्रमाण–पत्र जो क्षेत्रीय ग्रा.कृ.वि.अधिकारी द्वारा सत्यापित हो सहित संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

कृषक अपने कृषि योग्य भूमि पर अधिसूचित फसल/फसलों के लिए केवल एक बार बीमा आच्छादन का लाभ ले सकता है। दूसरे शब्दों में योजनांतर्गत एक ही रकबे हेतु एक से अधिक बार बीमा कराने की अनुमति नहीं है। एक ही रकबा का एक से अधिक बार बीमा होने की स्थिति में बीमा कंपनी के पास ऐसे सभी दावों को निरस्त करने का अधिकार होगा और ऐसे मामलों में संबंधित कृषक द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम राशि को वापस किया जावेगा।

4. योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :–

मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2020–21 से 2022–23 के लिए निविदा के आधार पर कलस्टरवार, जिलेवार चयनित बीमा कंपनियों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	कल. क्र.	जिला	चयनित बीमा कंपनी
i.	1	राजनांदगांव, सरगुजा, कोण्डागांव, मुंगेली एवं नारायणपुर	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कं. ऑफ इंडिया लि.
ii.	2	बेमेतरा, बलौदाबाजार, दुर्ग एवं कोरबा	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कं. ऑफ इंडिया लि.
iii.	3	बालोद, कोरिया, महासमुंद एवं धमतरी	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कं. ऑफ इंडिया लि.
iv.	4	जशपुर, बलरामपुर, बस्तर, बिलासपुर बीजापुर, रायपुर, कबीरधाम एवं गौरेला–पेण्ड्र – मरवाही	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
v.	5	कांकेर, रायगढ, दन्तेवाड़ा, सूरजपुर, गरियाबंद, जांजगीर–चांपा एवं सुकमा	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कं. ऑफ इंडिया लि.

5. जोखिमों की आच्छादन एवं अपवर्जन :–

(i) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित मार्गदर्शिका में निम्नानुसार वर्णित जोखिमों हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगा –

(क) **बाधित रोपाई/रोपण जोखिम** : बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण अधिसूचित मुख्य फसल की बोआई/रोपण/अंकुरण न हो पाने से होने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ख) **स्थानीयकृत आपदाएं** : अधिसूचित क्षेत्र में फसल को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, जलभराव (धान फसल को छोड़कर), बादल का फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से व्यक्तिगत आधार पर अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ग) **फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान** : अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत सूखाने अथवा छोटे–छोटे बंडलो में बांध कर रखे हुए फसल को अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) तक चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ii) **सामान्य अपवर्जन** : युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानि, दुर्भावना–जनित क्षति और अन्य निवारणीय जोखिम इसमें शामिल नही है।

6. **क्षति स्तर :–**

योजनांतर्गत **खरीफ फसल** धान सिंचित फसल में 90% व धान असिंचित, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तुअर (अरहर), मूंग एवं उड़द फसल हेतु 80% क्षति स्तर निर्धारित की गई है। **रबी फसल** चना फसल में 90% व गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई–सरसों एवं अलसी फसल हेतु 80% क्षति स्तर होगा।

7. **थ्रेसहोल्ड उपज :–**

खरीफ फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, एवं उड़द फसल हेतु विगत वर्ष 2013 से 2019 तक एवं तुअर (अरहर) फसल हेतु वर्ष 2012 से 2018 तक के उपज आंकड़े और रबी फसल चना, गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई–सरसों एवं अलसी हेतु विगत वर्ष 2012–13 से 2018–19 तक के 07 वर्ष के उपज आंकड़े में से 02 वर्ष के न्यूनतम उपज आंकड़ों को छोड़कर शेष 05 वर्षों के औसत आंकड़ों के आधार पर बीमा इकाईवार थ्रेसहोल्ड उपज की गणना की गई है। कियान्वयन अवधि के लिए जिलेवार, अधिसूचित बीमा इकाई, फसलवार निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज की जानकारी **परिशिष्ट–2** पर है।

यदि किसी अधिसूचित बीमा इकाई में थ्रेशहोल्ड उपज की जानकारी उपलब्ध ना हो, तो उक्त अधिसूचित बीमा इकाई के निकटतम इकाई के उपज के आंकडे अथवा निकटतम इकाई के उपज आंकडे उपलब्ध ना हो, तो उच्च इकाई के उपज आंकडों का उपयोग कर दावा गणना की जावेगी।

8. **बीमित राशि :–**

मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2020–21 में ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि प्रत्येक जिले में अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर ऋणमान सीमा (Scale of Finance) **परिशिष्ट–3** के अनुसार होगी। आगामी वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के लिए बीमित राशि की अधिसूचना पृथक से जारी की जावेगी।

9. **प्रीमियम की गणना एवं अनुदान :–**

खरीफ फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तुअर (अरहर), मूंग, एवं उड़द हेतु कृषक द्वारा बीमित राशि का अधिकतम 02 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो, प्रीमियम के रुप में वहन किया जायेगा। **रबी फसल** चना, गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई–सरसों एवं अलसी हेतु कृषक द्वारा बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो, प्रीमियम के रुप में वहन किया जायेगा।

शेष प्रीमियम की राशि केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा योजना प्रावधानानुसार वहन किया जावेगा। अधिसूचित बीमा इकाई हेतु कलस्टरवार/जिलेवार/फसलवार प्रीमियम राशि का विवरण **परिशिष्ट–3** पर है।

10. **विभिन्न गतिविधियों हेतु समय–सीमाः–**

योजनांतर्गत बीमा आवेदन की अंतिम तिथि खरीफ मौसम हेतु **15 जुलाई तथा रबी मौसम हेतु 15 दिसम्बर** निर्धारित है। योजनांतर्गत महत्वपूर्ण गतिविधियों/कार्यवाहियों हेतु निम्नानुसार समय–सीमा निर्धारित की गई हैः–

क्र.	गतिविधि/कार्यवाही	समय–सीमा (खरीफ)	समय–सीमा (रबी)	उत्तरदायी संस्था
i.	फसल बीमा पोर्टल पर सभी अपेक्षित सूचना/डाटा अपलोड करना।	अधिसूचना जारी होने के पाँच दिवस के भीतर	अधिसूचना जारी होने के पाँच दिवस के भीतर	संचालनालय कृषि
ii.	अधिसूचित जानकारियो का डिजीटलीकरण	बीमा पोर्टल पर जानकारी अपलोड होने के तीन दिवस के भीतर सत्यापन किया जावेगा।	बीमा पोर्टल पर जानकारी अपलोड होने के तीन दिवस के भीतर सत्यापन किया जावेगा।	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
iii.	फसल बीमा पोर्टल से अधिसूचना डाउनलोड कर सभी हितधारको को प्रसारित करना	डिजीटलीकरण पूर्ण होने के पाँच दिवस के भीतर	डिजीटलीकरण पूर्ण होने के पाँच दिवस के भीतर	संचालनालय कृषि एवं क्रियान्वयक बीमा कंपनी
iv.	जागरूकता, संवेदीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम	अधिसूचना जारी होने से दावा भुगतान के पूर्व तक	अधिसूचना जारी होने से दावा भुगतान के पूर्व तक	क्रियान्वयक बीमा कंपनी/संचालनालय कृषि
v.	कृषकों का बीमा प्रारंभ करने की तिथि	1 अप्रैल	1 अक्टूबर	बैंक/पैक्स/लोक सेवा केन्द्र /बीमा अभिकर्ता /ऑनलाईन पंजीकरण इत्यादि
vi.	ऋणी कृषकों को बीमित फसल में परिवर्तन करने की अंतिम तिथि	प्रीमियम संग्रहण की अंतिम तिथि से 2 दिवस पूर्व तक	प्रीमियम संग्रहण की अंतिम तिथि से 2 दिवस पूर्व तक	किसान/वित्तीय संस्थान
vii.	**बैंक/प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति/ लोक सेवा केन्द्र/ऑनलाईन पंजीकरण/ बीमा अभिकर्ता इत्यादि द्वारा सभी कृषकों (ऋणी तथा अऋणी) से प्रस्ताव प्राप्त करने तथा प्रीमियम कटौती करने की अंतिम तिथि**	**15 जुलाई**	**15 दिसम्बर**	**बैंक/प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति /लोक सेवा केन्द्र/ बीमा अभिकर्ता/ कृषक द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण**
viii.	बैंक/वित्तीय संस्थाऍं द्वारा संबंधित बीमा कंपनी को समेकित घोषणा के साथ इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रीमियम प्रेषण करने की अंतिम तिथि तथा प्रत्येक बीमित कृषकों की विवरण को पोर्टल में अपलोड करने तथा प्रत्येक बीमित किसानों को "लघु संदेश" भेजे जाने की अंतिम तिथि	ऋणी तथा अऋणी कृषक के लिये बीमा आवेदन/प्रीमियम कटौती की अंतिम तिथि के 15 दिन के भीतर अर्थात 30 जुलाई तक	ऋणी तथा अऋणी कृषक के लिये बीमा आवेदन/प्रीमियम कटौती की अंतिम तिथि के 15 दिन के भीतर अर्थात 30 दिसंबर तक	वित्तीय संस्था/पोर्टल
ix.	ऐच्छिक रूप से बीमित कृषक के प्रीमियम को बीमा अभिकर्ता द्वारा बीमा कंपनी को इलेक्ट्रानिक संप्रेषण एवं उक्त बीमित कृषकों की जानकारी को फसल बीमा पोर्टल में अपलोड करना।	आवेदन एवं प्रीमियम प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर	आवेदन एवं प्रीमियम प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी तथा बीमा अभिकर्ता
x.	बीमा कंपनी द्वारा पोर्टल में इन्द्राज किये गये कृषक की जानकारी को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करने की अंतिम तिथि	बैंक/PACS/CSC/द्वारा डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि से 15 दिन के भीतर ऋणी कृषकों के लिए तथा 30 दिवस के भीतर अऋणी कृषकों के लिये अर्थात ऋणी कृषकों के लिए 15 अगस्त तथा अऋणी कृषकों के लिए 30 अगस्त	बैंक/PACS/CSC/द्वारा डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि से 15 दिन के भीतर ऋणी कृषकों के लिए तथा 30 दिवस के भीतर अऋणी कृषकों के लिये अर्थात ऋणी कृषकों के लिए 15 जनवरी तथा अऋणी कृषकों के लिए 30 जनवरी	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xi.	बैंक/प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति/ लोक सेवा केन्द्र/बीमा अभिकर्ता द्वारा काटी जा चुकी प्रीमियम राशि से संबंधित त्रुटिपूर्ण आवेदन के संशोधन/अपडेट करने की अंतिम तिथि	बीमा कंपनी द्वारा सूचना दिये जाने के 7 दिनों के भीतर	बीमा कंपनी द्वारा सूचना दिये जाने के 7 दिनों के भीतर	CSC/बैंक/वित्तीय संस्थाएँ
xii.	संशोधित/अपडेट आवेदन को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत करने की अंतिम तिथि	बैंक, PACS तथा CSC द्वारा सही जानकारी प्रस्तुत करने के 7 दिनों के भीतर	बैंक, PACS तथा CSC द्वारा सही जानकारी प्रस्तुत करने के 7 दिनों के भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xiii.	बीमा धारक कृषकों को फोलियों के साथ बीमा पावती भेजने की अंतिम तिथि।	बीमा कंपनी द्वारा पोर्टल पर बीमा प्रस्ताव स्वीकार करने के 7 दिनों के भीतर	बीमा कंपनी द्वारा पोर्टल पर बीमा प्रस्ताव स्वीकार करने के 7 दिनों के भीतर	बैंक/ वित्तीय संस्थाऍं/ क्रियान्वयक बीमा कपंनी
xiv.	बीमा कंपनी द्वारा आवेदनों को संसाधित (Processing) करना और फसल बीमा पोर्टल पर बीमांकृत किसानों के आवेदन की स्वतः अनुमोदन के लिये अंतिम तिथि	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 60 दिनों के भीतर	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 60 दिनों के भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी

क्र.	गतिविधि / कार्यवाही	समय–सीमा (खरीफ)	समय–सीमा (रबी)	उत्तरदायी संस्था
xv.	संबंधित पूर्व मौसम के केन्द्रांश / राज्यांश प्रीमियम अनुदान के 80 प्रतिशत का 50 प्रतिशत अग्रिम प्रीमियम अनुदान राशि हेतु सहायक दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी द्वारा मांग प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व	बीमा कंपनी / भारत सरकार / राज्य सरकार
xvi.	संबंधित पूर्व मौसम के केन्द्रांश / राज्यांश प्रीमियम अनुदान के 80 प्रतिशत का 50 प्रतिशत अग्रिम प्रीमियम अनुदान की प्रथम किश्त राशि जारी करने की अंतिम तिथि	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर	भारत सरकार / राज्य सरकार
xvii.	फसल कटाई प्रयोग के लिये उत्तरदायी मैदानी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण तथा पोर्टल में पंजीकरण	15 अगस्त तक	15 जनवरी तक	भू–अभिलेख के राज्य तथा जिला स्तर के कार्यालय
xviii.	फसल कटाई प्रयोग के साक्ष्य हेतु सह–निरीक्षण के लिए बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि के मोबाईल नम्बर का पंजीकरण	31 अगस्त तक	31 जनवरी तक	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xix.	(अ) CCE Agri App फसल कटाई प्रयोग का फसलवार बीमाइकाईवार अनुमानित कार्यक्रम अपलोड करना तथा फसल कटाई प्रयोंग के एक दिन पूर्व मैसेज करना। बीमा कंपनी फसल कटाई प्रयोग की तय कार्यक्रम की निश्चितता के लिये जिला अधिकारी तथा तहसील / वि.खं. अधिकारियों के साथ आवश्यक समन्वय करने हेतु समानान्तर रूप से जवाबदेह होगें ।	फसल कटाई प्रयोग की अनुमानित तिथि के 7 दिन पूर्व	फसल कटाई प्रयोग की अनुमानित तिथि के 7 दिन पूर्व	आयुक्त भू–अभिलेख / संचालनालय कृषि / बीमा कंपनी
	(ब) फसल कटाई प्रयोग कार्यक्रम की पुष्टि	पोर्टल जनित मैसेज के माध्यम से 1 दिवस पूर्व	पोर्टल जनित मैसेज के माध्यम से 1 दिवस पूर्व	
xx.	फसल कटाई प्रयोग के संदिग्ध आंकडों के संबंध में आनलाईन शिकायत दर्ज करने की समय–सीमा	फसल कटाई प्रयोग संपादन के दो घण्टे की भीतर	फसल कटाई प्रयोग संपादन के दो घण्टे की भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xxi.	जिलेवार फसलवार वास्तविक उपज के आंकडों की स्वीकृति तथा पोर्टल में अपलोड करने की कार्यवाही।	फसलवार अधिसूचित फसल कटाई की अंतिम तिथि के एक माह के भीतर	फसलवार अधिसूचित फसल कटाई की अंतिम तिथि के एक माह के भीतर	आयुक्त भू–अभिलेख
xxii.	वास्तविक उपज के आंकडों में किसी भी प्रकार की कमी / अस्पष्टता / भिन्नता / मिलान करने की अंतिम तिथि	राज्य शासन द्वारा उपज आंकड़े उपलब्ध कराने के 7 दिवस के भीतर	राज्य शासन द्वारा उपज आंकड़े उपलब्ध कराने के 7 दिवस के भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xxiii.	बीमा कंपनी द्वारा उपज आंकड़ों के संबंध में राज्य सरकार से चाही गई स्पष्टीकरण के निराकरण की अंतिम तिथि	पोर्टल पर स्पष्टीकरण हेतु आपत्ति दर्ज करने के 7 दिन के अंदर	पोर्टल पर स्पष्टीकरण हेतु आपत्ति दर्ज करने के 7 दिन के अंदर	आयुक्त भू–अभिलेख
xxiv.	भू–अभिलेख द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोग के अनुसार औसत उपज आंकडों की जानकारी संचालनालय कृषि को उपलब्ध कराये जाने की अंतिम तिथि।	फसलवार अधिसूचित फसल कटाई की अंतिम तिथि से 3 सप्ताह के भीतर	फसलवार अधिसूचित फसल कटाई की अंतिम तिथि से 3 सप्ताह के भीतर	आयुक्त भू–अभिलेख
xxv.	संचालक कृषि द्वारा बीमा कंपनी को उत्पादन आंकडे प्रदाय करने की अंतिम तिथि।	फसलवार अधिसूचित फसल कटाई की अंतिम तिथि से 1 माह के भीतर	फसलवार अधिसूचित फसल कटाई की अंतिम तिथि से 1 माह के भीतर	संचालनालय कृषि
xxvi.	पोर्टल में स्व–अनुमोदित वास्तविक आंकडों के आधार पर प्रीमियम अनुदान की दूसरी किश्त के लिये सहायक दस्तावेजो के साथ मांग पत्र प्रस्तुत करना	पोर्टल पर अंतिम व्यावसायिक आंकडों में स्व–अनुमोदन के 15 दिनों के भीतर	पोर्टल पर अंतिम व्यावसायिक आंकडों में स्व–अनुमोदन के 15 दिनों के भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xxvii.	शासकीय अनुदान की दूसरी किश्त का निर्गमन	क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा मांग प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा मांग प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर	भारत सरकार / राज्य सरकार
xxviii.	उपज आंकडों / दावा का स्व अनुमोदन	राज्य सरकार से उपज आंकडों की प्राप्ति / स्पष्टीकरण प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर	राज्य सरकार से उपज आंकडों की प्राप्ति / स्पष्टीकरण प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर	भारत सरकार / पोर्टल

क्र.	गतिविधि / कार्यवाही	समय–सीमा (खरीफ)	समय–सीमा (रबी)	उत्तरदायी संस्था
xxix.	फसल बीमा पोर्टल से बैंक शाखा एवं अन्य संबंधित विभाग के साथ दावा की विस्तृत जानकारी साझा करना	बीमा कंपनी द्वारा दावा के अनुमोदन के 7 दिन के भीतर	बीमा कंपनी द्वारा दावा के अनुमोदन के 7 दिन के भीतर	पोर्टल / बीमा कंपनी
xxx.	दावा भुगतान के लिये समय–सीमा	दावा की गणना / स्व अनुमोदन के 2 सप्ताह के भीतर	दावा की गणना / स्व अनुमोदन के 2 सप्ताह के भीतर	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
xxxi.	शासकीय प्रीमियम अनुदान के अंतिम किश्त का भुगतान	पोर्टल पर कृषकों के वास्तविक व्यवसायिक आंकडे को अंतिम रूप देने के पश्चात्।	पोर्टल पर कृषकों के वास्तविक व्यवसायिक आंकडे को अंतिम रूप देने के पश्चात्।	संचालनालय कृषि
xxxii.	(अ) संबंधित बैंक शाखाओं / वित्तीय संस्थाओं द्वारा दावे राशि का मिलान कर लाभार्थी ऋणी कृषक के खातें में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने की अंतिम तिथि (ब) आवश्यकता अनुसार अऋणी कृषकों के दावा राशि का पुनर्मिलान संबंधित पंजीकरण करने वाली संस्था द्वारा बैंक अथवा राज्य शासन से परामर्श अनुसार किया जाना	दावा राशि प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर	दावा राशि प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर	बैंक / वित्तीय संस्था

टीपः– उपरोक्त समय–सीमा / प्रक्रियाओं / कार्यवाहियों का पालन करने में किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा अंतिम तिथि के उपरांत जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर इससे प्रभावित कृषक / कृषकों को योजनांतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी भी संबंधित संस्था की होगी।

11. वित्तीय संस्थाएँ समस्त ऋणी तथा अऋणी आच्छादित कृषकों की राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल आधारित सूची जिसमें–कृषक का नाम, पिता / पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, कृषक श्रेणी–लघु एवं सीमांत / अन्य, महिला / पुरुष, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य, आच्छादित रकबा, बीमित राशि, कृषक द्वारा देय प्रीमियम का विवरण एवं अन्य जानकारी निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कम्पनी को उपलब्ध करायेगी तथा कृषकवार विवरण फसल बीमा पोर्टल पर बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर अपलोड करेंगी। राज्य सरकार, बीमा कार्यान्वयक अभिकरण, बैंक / वित्तीय संस्थाएं उनसे संबंधित जानकारियों एवं आंकड़ों को भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल – **"www.pmfby.gov.in"** में कंडिका 10 के अनुसार निर्धारित समय सीमा पर इन्द्राज करेगी।

12. **बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र :–**

समस्त सहकारी बैकों / वाणिज्यिक बैकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र की दो प्रति तैयार कर एक प्रति बीमा कंपनी तथा एक प्रति संबंधित कृषक को अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा।

13. **दावा गणना :–**

आयुक्त, भू–अभिलेख, छ.ग. द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए अनिवार्य संख्या में किये गये फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज के आकड़ो से दावा गणना की जायेगी। शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा आनावारी, सूखा, बाढ़ अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं हैं। अधिसूचित बीमा इकाई – "ग्राम" में मुख्य एवं अन्य अधिसूचित फसलों हेतु 04–04 फसल कटाई प्रयोग किये जाएंगे। राज्य शासन को यह अधिकार रहेगा कि विभिन्न कारणों से निर्धारित समय–सीमा से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित मुख्य अथवा अन्य फसलों के निर्धारित फसल कटाई प्रयोग संपादित कराया जाना संभव नहीं हो, तो अधिसूचित इकाई से उच्चतर इकाई (पटवारी हल्का / राजस्व निरीक्षक मंडल) में योजना प्रावधान अनुसार निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जा सकेंगे अथवा उच्चतर इकाई या निकटतस्थ बीमा इकाई के औसत उपज आंकड़े दावा गणना हेतु मान्य होंगे।

14. क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया :–

योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल की क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा–

(क) बुआई नहीं हो पाने/निष्फल होने/रोपण बाधित होने की स्थिति में :–

यह आवरण केवल मुख्य फसल खरीफ में "धान सिंचित" एवं "धान असिंचित" तथा रबी में मुख्य फसल "चना" के लिए ही लागू होगा। फसल बोआई अवधि के दौरान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य विपरीत मौसम के कारण अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम) में अधिसूचित मुख्य फसल की 75% से अधिक क्षेत्रफल में बुवाई/रोपाई/अंकुरण नहीं हो पाने की स्थिति में बीमित राशि का अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को भुगतान किया जावेगा। इस घटक के अंतर्गत संबंधित फसल के बुवाई की अंतिम समय–सीमा क्रॉप कैलेण्डर (परिशिष्ट–4) के अनुसार होगी।

उपरोक्त समयावधि में यदि किसी अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित प्रमुख फसल के बोवाई किये जाने वाले क्षेत्रफल में से 75% से अधिक क्षेत्रफल में बोवाई/रोपाई नहीं होती है, ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े तथा प्रदेश में फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के आंकड़े हेतु नोडल एजेंसी राजस्व विभाग (भू–अभिलेख) के आंकड़ों को आधार माना जायेगा। इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के लिए वे कृषक पात्र होगें जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हो अथवा उनके स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हों। जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति के प्रस्ताव एवं संचालक कृषि के अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा ऐसे प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी की जायेगी, जिसके आधार पर अधिसूचित क्षेत्र के बीमित कृषकों को अधिकतम 25% तक दावा भुगतान किया जावेगा। इस खण्ड के अधीन क्षतिपूर्ति देय होने के पश्चात बीमा आच्छादन को समाप्त माना जावेगा और प्रभावित बीमा इकाई/फसल मौसम के अंत में क्षेत्र उपज आधारित संगणित दावों के पात्र नहीं होंगे और न ही इन क्षेत्रों में प्रभावित अधिसूचित फसलों के लिये कोई नया पंजीयन किया जावेगा।

(ख) स्थानीय आपदाओं की स्थिति में :– स्थानीय जोखिमों यथा–ओलावृष्टि, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित कृषक को क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है। यदि किसी प्रभावित इकाई में 25% से ज्यादा हानि होती है तो संयुक्त समिति द्वारा सैम्पल जांच कर उस इकाई में सभी बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होगी। कृषक इसकी सूचना संबंधित क्रियान्वयन बीमा कंपनी के सीधे टोल फ्री नंबर (एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कं. का टोल फ्री नं. 1800–11–6515 तथा बजाज एलांज ज.इं.कं.लि. का टोल फ्री नं. 1800–209–5959) पर या लिखित रूप से अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी को लिखित रूप से निर्धारित समय–सीमा 72 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। कृषक द्वारा सूचित किये गये संस्था/विभाग द्वारा 48 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्योरे क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित बीमा कंपनी को सूचित किया जाएगा। धान सिंचित एवं धान असिंचित फसल में जलप्लावन से होने वाली क्षति इस घटक में शामिल नहीं है।

हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी क्षेत्र में फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए 48 घण्टे के भीतर क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) की नियुक्ति करेगी तथा संशोधित मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार 10 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाएगा। जिला/विकासखण्ड स्तरीय कृषि/राजस्व विभाग के अधिकारी फसल क्षति का अनुमान लगाने में क्रियान्वयक बीमा कंपनी को उपयुक्त सहायता करेगें। बीमा कंपनी को क्षति आंकलन करने के 15 दिवस के भीतर क्षति पूर्ति राशि का भुगतान करना होगा। इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता बीमित राशि के अध्याधीन प्रभावित क्षेत्र में आपदा घटित होने तक फसल की कास्त लागत के अनुपात में होगी। यदि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र में दावा भुगतान स्थानीय क्षतिपूर्ति से अधिक निर्धारित होता है, तो दोनों में से जो भी देय दावा अधिक होगा, बीमित कृषक को देय होगा।

(ग) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में** :– फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई अथवा छोटे बंडलो में रखे हुये अधिसूचित फसल को प्राकृतिक आपदा यथा ओला, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा से अधिसूचित इकाई में 25% से अधिक क्षेत्र में फसलों को क्षति होती है, तो ऐसी अवस्था में नमूना जांचकर सभी बीमित कृषकों को क्षति का भुगतान किया जावेगा। यदि अधिसूचित इकाई में 25% से कम क्षेत्र में हानि होती है तो उन सभी प्रभावित बीमित कृषकों के नुकसान की जांच कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति के पात्र घोषित की जायेगी, जो कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे टोल फ्री नंबर (एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कं. का टोल फ्री नं. 1800–11–6515 तथा बजाज एलांज ज.इं.कं.लि. का टोल फ्री नं. 1800–209–5959) या लिखित रूप में अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों/संबंधित बैंक अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in में निर्धारित समय–सीमा 72 घंटे के भीतर लिखित रूप से बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। इसके तहत् क्राप कैलेण्डर (परिशिष्ट–4) में अंकित फसल कटाई की निर्धारित अंतिम तिथि से यदि कटी हुई अधिसूचित फसल, अधिकतम 14 दिनों तक सूखने के लिए फैलाकर रखी जाती है तो इस अवधि तक के लिए ही उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति का आंकलन किया जाएगा।

हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी क्षेत्र में फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिये 48 घण्टे के भीतर हानि निर्धारक (Loss Assessor) की नियुक्ति करेगी तथा संशोधित मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार 10 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाएगा। विकासखंड/जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति एवं संयुक्त समिति के सदस्यों एवं कृषक फसल क्षति का अनुमान लगाने में क्रियान्वयन बीमा कंपनी को आवश्यक सहायता करेंगे। सांकेतिक संकेतों, स्थानीय मिडिया रिर्पोटों, कृषि/राजस्व विभाग के रिर्पोटों को क्षति का आंकलन का आधार बनाया जाएगा। बीमा कंपनी को क्षति आंकलन करने के 15 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान संबंधित कृषक के खाते में करना होगा।

(घ) **फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में** :–राज्य शासन फसल उत्पादन आंकलन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित मुख्य एवं अन्य फसलों के लिए 04–04 फसल कटाई प्रयोग भारत सरकार के मोबाईल ऍप "CCE Agri App" के माध्यम से संपादित करेगी। इस फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर निम्नानुसार दावा गणना की जायेगीः–

$$\text{देय क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{थ्रेसहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेसहोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

छ.ग. शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु किये जा रहे फसल कटाई प्रयोग के परिणाम (अनावारी, सूखाग्रस्त घोषित करने, आदि के उद्देश्य से पृथक से क्रियान्वित किये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग) इस योजनान्तर्गत दावा भुगतान की गणना में मान्य नहीं होंगे। यथा संभव इसी योजना के अंतर्गत संपादित कराये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग श्रृंखला का ही उपयोग फसल बीमा की गणना के लिए किया जायेगा।

15. योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु संयुक्त समिति का गठन :–

योजनानुसार स्थानीय आपदाओं एवं फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति आंकलन हेतु शासन द्वारा योजनांतर्गत गठित संयुक्त समिति ही अधिकृत होगी।

16. मौसम केन्द्रों की जानकारी :–

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के तहसील/विकासखंडों में स्थापित वर्षामापी यंत्रों से दैनिक वर्षा के आंकड़े नियमित प्राप्त होते है। योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु इन आंकड़ों को मान्य किया जाना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वर्षामापी यंत्र बंद या खराब होने की स्थिति में जिले में केन्द्रीय मौसम विज्ञान विभाग/इं.गां.कृ.वि.वि के मौसम विज्ञान विभाग अथवा मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत स्थापित स्वचलित मौसम केन्द्र के आंकड़े स्वीकार किये जायेगें।

17. बीमित फसल में परिवर्तन का विकल्पः–

कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के लिए ऐच्छिक आधार पर लिये गये बीमा आवरण में इच्छानुसार फसल के नाम में बदलाव इस शर्त पर किया जा सकता है, कि किसान को उसकी सूचना वित्तीय संस्थान/चैनल भागीदार/बीमा मध्यस्थ को लिखित रूप में बोनी प्रमाण–पत्र (जो बीमा इकाई स्तर पर अधिकृत राजस्व/कृषि अधिकारी अथवा इससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा अन्य फसल की बोनी करने संबंधी प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो) के साथ निर्धारित प्रीमियम में देय धनराशि की भिन्नता अंकित करते हुये बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 02 कार्य दिवस पूर्व देनी होगी। पहले दिया हुआ प्रीमियम अधिक होने की स्थिति में, वित्तीय संस्था/बीमा कंपनी अतिरिक्त प्रीमियम को वापस करेगी। यह विकल्प केवल उन्ही कृषकों को होगा जिन्होने फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा कर दी है।

इसी प्रकार ऋणी किसान ऋण आवेदन में प्रस्तुत मूल फसलों के नाम को भी बदल सकते है। तथापि ऐसे परिवर्तनों हेतु अभ्यावेदन बीमा आवेदन की अंतिम तिथि (खरीफ हेतु 15 जुलाई एवं रबी हेतु 15 दिसम्बर) से 02 कार्य दिवस के पूर्व संबंधित बैंक शाखा में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि प्रस्तावित फसलों को बीमाकृत किया जा सके। बुआई घोषणा–पत्र को जमा किए बिना अधिसूचित फसलों को गैर–अधिसूचित फसलों में अथवा गैर–अधिसूचित फसलों को अधिसूचित फसलों में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

18. कृषकों के खाते में दावा भुगतान समायोजन करने की समय–सीमा :–

(क) **फसल उत्पादन के आधार पर व्यापक क्षतिपूर्ति** :– दावा गणना, स्व–अनुमोदन होने के 02 सप्ताह के भीतर देय दावा राशि बीमा कंपनी द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था को प्रदान की जावेगी तथा वित्तीय संस्था द्वारा एक सप्ताह के अंदर धनराशि पात्र कृषकों के खाते में समायोजित कर 15 दिन के अंदर तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत करेगी (केन्द्र एवं राज्य शासन से प्रीमियम अनुदान की द्वितीय किश्त प्राप्त होने की स्थिति में)।

(ख) **बुआई नहीं हो पाने/बुवाई विफल होने की स्थिति में** :– क्रियान्वयक बीमा कंपनी केन्द्र एवं राज्य शासन से प्रीमियम अनुदान का इंतजार न करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना/आदेश पारित होने की तिथि के 30 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में दावा राशि समायोजित की जाएगी।

(ग) **स्थानीय आपदाओं के मामले में** :– संयुक्त समिति, जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो, द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में अंतरित की जायेगी (केन्द्र एवं राज्य शासन से अग्रिम प्रीमियम अनुदान की प्रथम किश्त प्राप्त होने की स्थिति में)।

(घ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में** :– संयुक्त समिति, जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा, क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जाएगी (केन्द्र एवं राज्य शासन से प्रीमियम अनुदान की द्वितीय किश्त प्राप्त होने की स्थिति में)।

19. **हानि निर्धारकों (Loss Assessor) की नियुक्ति** :–चयनित बीमा कंपनी द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न क्षति जिनका विवरण बिन्दु क्रमांक–14. में दिया गया है, हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले क्षति निर्धारकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से की जायेगी तथा इसकी सूचना संबंधित जिला के उप–संचालक कृषि एवं संचालनालय कृषि को दी जायेगी।

20. **बैंक कमीशन एवं शुल्क** :– क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने के लिए योजनांतर्गत निर्धारित दर के अनुसार कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का 4 प्रतिशत खरीफ एवं रबी मौसम समाप्ति के पश्चात् भुगतान करना होगा तथा इसकी सूचना नोडल विभाग को देना होगा।

21. योजनांतर्गत गठित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त समिति द्वारा नियमित रूप से इस योजना के संचालन की पाक्षिक समीक्षा बैठक कर कार्यवाही विवरण/प्रगति प्रतिवेदन संचालक कृषि को उपलब्ध कराया जायेगा।

22. इस अधिसूचना के बिन्दु क्र. 14 के अनुसार फसल के नुकसान होने की स्थिति में क्षति आंकलन हेतु शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय संयुक्त समिति [District Level Joint Committee(DLJC)] निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही कर कृषकों को दावा भुगतान करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

23. योजनांतर्गत गठित की जाने वाली जिला स्तरीय मार्गदर्शक समिति [District Level Steering Committee(DLSC)] फसल कटाई प्रयोगों से संबंधित प्रत्येक गतिविधियों जैसे प्रस्तावित फसल कटाई प्रयोग हेतु कार्यक्रम, इसकी जानकारी संबंधितों को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में आंकड़े अपलोड कराना, फसल कटाई प्रयोगकर्ता को प्रशिक्षण, प्रपत्र 1 एवं 2 संबंधितों को उपलब्ध कराना, फसल कटाई प्रयोग का प्रतिवेदन तैयार करना, फसल कटाई प्रयोग की जानकारी जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति को उपलब्ध कराना, अधिसूचित बीमा इकाई में किसी कारणवश फसल कटाई प्रयोग का आयोजन न हो पाया हो तो कारण सहित उच्च इकाई के फसल कटाई आंकड़ों को मान्य करने का प्रस्ताव जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति के अनुमोदन पर संचालक कृषि को भेजना आदि के लिये अधिकृत होगी।

24. फसल कटाई प्रयोग के दौरान क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा फसल कटाई प्रयोग के क्रियान्वयन एवं निरीक्षण संबंधी आवश्यक समन्वय हेतु प्रतिनिधि अधिकारी को जिला स्तरीय मार्गदर्शक समिति [District Level Steering Committee(DLSC)] के अध्यक्ष के कार्यालय में तीन माह के लिए अनिवार्यतः संलग्न किया जावेगा।

25. योजनांतर्गत कृषक, कृषि विभाग, राजस्व (भू–अभिलेख) विभाग, बैंक/वित्तीय संस्थाएँ, क्रियान्वयक बीमा कंपनी आदि अभिकरणों से संबंधित शिकायतो का निराकरण जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति [District Level Grievance Redressal Committee (DGRC)] द्वारा 15 दिवस के भीतर किया जावेगा। जिला स्तरीय समिति के निर्णय से संबंधित संस्था/विभाग असहमत होने अथवा शिकायत अधिक जिलों को प्रभावित कर रहीं हो अथवा रूपये 25 लाख से उपर का प्रकरण हो, तो ऐसी स्थिति में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति द्वारा प्रकरण राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति [State Level Grievance Redressal Committee (SGRC)] को अंतरित कर दी जावेगी। राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

26. भारत सकार द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश अनुसार विभिन्न कार्यो हेतु अंकित समय–सीमा, कार्य की पद्धति, ऑनलाईन अपलोड की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व क्रियान्वयन बीमा कंपनी, वित्तीय संस्था, संचालनालय कृषि एवं फसल कटाई प्रयोग हेतु नोडल भू–अभिलेख की होगी तथा इस हेतु पृथक से आदेश जारी नही किये जायेंगें।

27. कियान्वयक बीमा कंपनी को राज्य स्तरीय कार्यालय के अतिरिक्त उनको आबंटित जिलों के मुख्यालय तथा प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर कियाशील कार्यालय स्थापित करना होगा तथा उनके द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में एक एजेंट नियुक्त किया जावेगा। कियान्वयक बीमा कंपनी उक्त जानकारी अधिसूचना जारी होने के 10 दिवस के अंदर पोर्टल में दर्ज कर जिला कृषि कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगी। बीमा कम्पनी को संबंधित जिला उपसंचालक कृषि/DLMC से अभिस्वीकृत प्राप्त कर इसकी विधिवत सूचना संबंधित संस्थाओं तथा संचालनालय कृषि को अनिवार्य रूप से देना होगा।

28. बीमा कंपनी द्वारा बैंको से प्राप्त सभी घोषणा पत्र/प्रीमियम राशि की पावती संबंधित बैंक शाखाओं को उपलब्ध कराई जाएगी एवं किसी भी त्रुटि/अंतर/विसंगति अवलोकित होने पर इसकी सूचना संबंधित बैंक को तत्काल दिया जाएगा। उक्त विसंगतियों के निराकरण हेतु बीमा कंपनी द्वारा वित्तीय संस्था से दस्तावेज/जानकारी निर्धारित समयावधि तक ही स्वीकार किये जायेंगे। यदि वित्तीय संस्था द्वारा नियत समय-सीमा में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा संबंधित प्रीमियम राशि तीन सप्ताह के भीतर बैंकों को अनिवार्य रूप से वापस करना होगा, अन्यथा कृषकों के दावा प्रतिपूर्ति का सम्पूर्ण दायित्व बीमा कंपनी की होगी।

29. वित्तीय संस्थान/सी.एस.सी./मध्यस्थ/बीमा कंपनी कृषक के फसल का बीमा आवरण उस बीमा इकाई में करेंगे, जिस बीमा इकाई में कृषक का कास्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इससे संबंधित त्रुटियों के मामले में संबंधित संस्था सभी प्रकार के दावों के भुगतान हेतु जवाबदेह होंगे।

30. बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/सी.एस.सी./मध्यस्थ/बीमा कंपनी की गलतियों/चूकों/त्रुटियों के कारण योजना के तहत कोई कृषक बीमा लाभ से वंचित होता है तो, ऐसी त्रुटियों के मामले में संबंधित संस्था सभी प्रकार के दावों के भुगतान हेतु जवाबदेह होंगे।

31. कियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा पूर्ण परीक्षण कर प्रीमियम अनुदान की मांग हेतु प्रस्ताव संचालक कृषि को प्रस्तुत किया जायेगा। इसके साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा कि, प्रस्तुत की जा रही मांग संबंधित मौसम में, अधिसूचित क्षेत्र में, अधिसूचित फसल के लिए, निर्धारित प्रीमियम दर पर बीमित कृषकों की संख्या के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। बीमा कंपनी से प्राप्त प्रस्ताव को संचालनालय कृषि स्तर पर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर पर्याप्त परीक्षण उपरांत नियमानुसार राज्यांश राशि के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

32. क्रियान्वयक बीमा कंपनी को बीमा आवरण में सम्मिलित कृषक एवं लाभार्थी कृषकों की अंतिम जानकारी संचालनालय कृषि को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना होगा।

33. वास्तविक उपज के आंकड़ों के आधार पर प्रस्तावित बीमा दावा राशि की सम्पूर्ण जानकारी संचालनालय कृषि, छ.ग. को प्रस्तुत करने के उपरांत कियान्वयक बीमा कंपनी को राज्यांश प्रीमियम अनुदान की अंतिम किस्त का भुगतान किया जावेगा।

34. स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई उपरांत सुखाने के लिए रखी फसल में क्षति होने पर कृषक को सूचना देने हेतु 72 घंटे की समय-सीमा निर्धारित है। इस हेतु समस्त सूचनाप्राप्तकर्ता/माध्यम जैसे-टोल फ्री नंबर, स्थानीय कृषि एवं राजस्व अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर, संबंधित बैंक के प्रतिनिधि के मोबाईल नंबर, फसल बीमा पोर्टल के वेबसाईट इत्यादि की जानकारी का पोस्टर संबंधित कार्यालयों/बैंक/सहकारी समिति/ग्राम पंचायत भवन में अधिसूचना जारी होने के 15 दिवस के भीतर बीमा कंपनी द्वारा अनिवार्य रुप से चस्पा करना होगा।

35. योजना के प्रति कृषकों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये विभाग/संस्था/बीमा कंपनी/अन्य अभिकरणों द्वारा प्रचार–प्रसार **परिशिष्ट–5** अनुसार करना होगा। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार बीमा कंपनी द्वारा प्रचार–प्रसार में व्यय किए जाने वाली राशि हेतु जिलावार कार्ययोजना संचालक कृषि को मौसम के प्रारंभ में उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त कार्ययोजना के अनुसार प्रचार–प्रसार की जावेगी। बीमा कंपनी द्वारा प्रचार–प्रसार में व्यय की गई राशि एवं उपयोग किये गये प्रसार माध्यमों की पाक्षिक जानकारी संचालक कृषि को उपलब्ध कराई जाएगी। माहवार प्रचार–प्रसार में व्यय की गई राशि का विवरण चार्टेड एकाउण्टेंट से सत्यापित कराते हुए अंतिम राज्यांश प्रीमियम अनुदान राशि के भुगतान के पूर्व संचालनालय कृषि को उपलब्ध कराया जावेगा। बीमा कंपनी द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु निर्धारित राशि (कुल प्रीमियम का 0.5 प्रतिशत) के अनुसार नहीं करने पर अंतर राशि प्रावधानुसार टेक्नॉलॉजी फण्ड में जमा करना होगा।

36. योजनान्तर्गत विगत वर्ष के समरूप मौसम में शामिल अऋणी कृषकों की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत वृध्दि करने की जवाबदेही चयनित बीमा कंपनी की होगी।

37. बीमा कंपनी द्वारा दावा भुगतान की राशि बैंक को अंतरित किये जाने के 1 सप्ताह के भीतर बैक/वित्तीय संस्थाए के शाखा/समिति के सूचना पटल में कृषकवार सूची को अभिप्रदर्शित की जाएगी और उसकी एक प्रति बीमा इकाई के सरपंच/प्रधान को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इसकी सूचना लाभांवित कृषक के मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से देना होगा।

38. बीमा कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्थाओं को मार्गदर्शिका में प्रावधानित निर्धारित समयावधि में दावा राशि संबंधित कृषक/हितग्राही के खाते में अंतरित/समायोजित करना होगा। यदि बीमा कंपनी/बैंक शाखाएं/नोडल बैंक द्वारा परिभाषित समय में दावा भुगतान नहीं किया जाता है, तो किसानों की विलंबित अवधि के लिये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ दावा राशि का भुगतान करना होगा।

39. अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित बीमा इकाई में योजनांतर्गत फसल क्षति आंकलन के लिए आयुक्त भू–अभिलेख, (नोडल कार्यालय, फसल कटाई प्रयोग) द्वारा शत्–प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग का आयोजन मोबाईल एप (CCE Agri App) के माध्यम से सुनिश्चित की जावेगी। किन्ही कारणो से मोबाईल एप "CCE Agri App" के माध्यम से फसल कटाई के आंकड़े दर्ज न हो पाने पर प्रपत्र 2 के आधार पर बीमा इकाईवार आंकलित औसत उपज का उपयोग दावा गणना में की जावेगी।

40. बीमा कंपनी को फसल कटाई प्रयोगों का शत् प्रतिशत सह–निरीक्षण करने का अधिकार होगा। बीमा कंपनी को फसल कटाई प्रयोग के समय प्रयोगकर्ता अधिकारी से अभिप्रमाणित प्रपत्र–2 जिसमें कंपनी के प्रतिनिधि एवं संबंधित सभी प्रतिनिधि भी अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किये हो, प्राप्त करना होगा। नोडल विभाग द्वारा पृथक से प्रपत्र–2 प्रदायित नही किए जाएंगे।

41. अधिसूचित फसलों के फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज आंकड़े में टंकन त्रुटि अवलोकित होने पर प्रपत्र 2 अनुसार अंकित औसत उपज मान्य होगा।

42. बीमा कंपनी द्वारा यदि प्रत्यक्ष उपज आंकलन के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है तो इस हेतु राज्य शासन की सहमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी, अन्यथा उनके द्वारा किसी नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रदायित उपज आंकडों में आपत्ति दर्ज करने पर राज्य सरकार द्वारा विचार नही किया जाएगा।

43. विवादित प्रकरण का निराकरण नहीं हो सकने की स्थिति में वाद, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित जिला न्यायालय के अधीन होगा।

44. भारत सरकार स्तर से कियान्वयक अभिकरण को De-Empanelled किया जाता है तो तदानुसार क्रियान्वयक अभिकरण के चयन को अनुबंध अवधि के पूर्व निरस्त किया जा सकता है।

45. योजना मार्गदर्शिका/निविदा शर्तो/इस अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों का पालन न करने पर बीमा कंपनी को काली सूची में डालने का अधिकार राज्य शासन को होगा।

46. भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के मार्गदर्शिका में संशोधन किये जाने पर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

47. अधिसूचना में जिन नियमों/निर्देशों का उल्लेख नही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं निविदा शर्तो के अनुरूप सभी के लिए बंधनकारी होगा।

48. यह अधिसूचना संबंधित खरीफ वर्ष हेतु 01, अप्रैल से तथा संबंधित रबी वर्ष हेतु 01, अक्टूबर से प्रभावी मानी जावेगी।

संलग्नः यथोपरि

O/c

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सी.पैकरा) 16/6/20
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र./2977/एफ–02/01/PMFBY/2020/14–2 नवा रायपुर, दिनांक 16/06/2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट विभाग, छ.ग. शासन।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, वित्त/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/सहकारिता/कृषि विभाग, छ.ग. शासन।
6. स्टॉफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन।
7. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छ.ग. नवा रायपुर।
8. संचालक, संस्थागत वित्त/कृषि/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी/भू–अभिलेख/आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग/जनसम्पर्क विभाग, छ.ग.।
9. निदेशक, केन्द्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, लालपुर, रायपुर।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) को वेबसाईट में अपलोड करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. मुख्य महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड, नवा रायपुर।
12. उप महाप्रबंधक, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई।
13. महानिदेशक, छ.ग. राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, रायपुर।
14. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक, रायपुर।
15. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, बैरन बाजार, रायपुर।
16. संचालक अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।
17. निदेशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।
18. विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।

19. कलेक्टर, जिला–.................................... (सर्व) छ.ग., को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
20. संयुक्त संचालक कृषि, संभाग– ....(सर्व) छ.ग.।
21. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, की ओर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
22. महाप्रबंधक (परि.), छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर।
23. उप संचालक कृषि, जिला–..(सर्व) छ.ग. को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
24. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंडरी रायपुर।
25. क्षेत्रीय प्रबंधक, बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लिमि.।

16/6/20

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग